न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/29/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. मोहन लाल पिता धन्ना जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. हीरालाल पिता धन्ना जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. जड़ाई बेवा पत्नी धन्ना जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—— वादीगण

बनाम

1. गमेर पिता जालम जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. शांतिलाल पिता गमेर जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. प्रकाश पिता बद्रीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. भंवर पिता बद्रीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. भेरू पिता बद्रीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. शंकर पिता बद्रीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
7. सुन्दर पत्नि बद्रीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
8. कंचन पुत्री बद्रीलाल जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
9. प्रभु पिता गमेर जाति आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
10. नोजी पत्नि गमेर जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
11. शंकर पिता रामा जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
12. गोपू पिता रामा जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
13. रतन पिता जीवा जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
14. किशनलाल पिता शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
15. रतन लाल पिता अमरचन्द्र जाति जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
16. गोटू पिता गणेश जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
17. रतन पिता रूपा जाट आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 08.01.2026

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि वादीगण मोहनलाल प्रतिवादीगण हीरालाल सगे भाई एवं वादीया जड़ाई बाई माता है वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । वादीगण कि निम्न आराजीयात मोजा नारिया पटवार क्षेत्र पाण्डोली स्टेशन तह० कपासन में एक दूसरे से मिली हुयी होकर एक ही चक में स्थित हैं।

—वादी मोहन पिता धन्ना के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात आराजी संख्या 503, 504, 505, 962/486 कुल किता 04 कुल रकबा 0.55 हैक्ट0, वादीगण मोहनलाल, हीरालाल एवं जडाई बाई की 1/2 के हिस्से की एवं मोहनलाल हीरालाल के 1/2 हिस्से की निम्न आराजीयात खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात आराजी संख्या 239, 254, 433, 485, 487, 488, 489, 490, 492, 502 कुल किता 10 कुल रकबा 5.36 हैक्ट0 तथा वादी हीरालाल पिता धनराज के खातेदारी की आराजीयात आराजी संख्या 486 रकबा 0.60 हैक्ट0 स्थित है। यह कि आराजी संख्या 239 व 254 के अलावा बाकी सभी आराजीयात वर्णित वाद पत्र में एक ही चक में होकर में होकर उसके पडौस निम्न है—

पूर्व— प्रतिवादी शंकर व गमेर की जमीन व आगे नारिया से रूदडी का रेकार्डेड सरकारी आम रास्ता जिसके आराजी न0 531 व 573 मौजा नारीया है।

पश्चिम— आम रास्ता रूदडी व चरनोट भूमि व भगवानलाल जी आदि की जमीन मौजा रूदडी हैं।

उत्तर— चरनोट भूमि व बाद में गमेर की जमीन व आम रास्ता आराजी नं0 483 मौजा नारिया से रूदडी के लिये रास्ता है।

दक्षिण— रतनलाल पिता हरचन्द जाति जाट निवासी रूदडी की खातेदारी की जमीन।

यह कि प्रतिवादीगण ने एक गिरोह बना रखा है एवं स्थानीय विधायक का प्रतिवादीगणों को खुला सहयोग मिला हुआ है प्रतिवादीगण वादीगण से अकारण नाराज रहते है। दिनांक 16—12—07 को दिन के करीब 11—00 बजे उक्त प्रतिवादीगणों ने एक गिरोह बना कर कपासन थाने के पुलिस कर्मियों, अधिकारीयों, स्थानीय तहसीलदार साहब आदि की मदद से वादीगण की कृषि भूमि आराजी नं० 489, 490, 433, 488, 502, 503, 504 व 505 आदि में नाजायज प्रवेश कर सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाया व जेसीबी चलाकर थोर की बाड व वृक्ष तथा सरसों की खड़ी फसल को तोड़ना शुरू कर दिया इतने मे गांव से लोभु पिता उदयराम जाट, नारायण पिता मंगना जाट, किसना पिता हीरा जाट निवासी नारिया ने आकर पुलिस जाप्ता व तहसीलदार से कहा कि आपकी उपस्थिति में यह नुकसान हो रहा है व इस परिवार के साथ मारपीट हो रही है इस पर जाप्ता रवाना हो गया व प्रतिवादीगण व जाप्ता वालों के साथ साथ ग्राम में चले गये वादीगण व वादीगण के परिवार वालों के साथ मारपीट की सूचना शंकरलाल निवासी सांड रिश्तेदारों को भेजी जिस पर वे किराये की जीप लेकर आये और वादीगण व उनके परिजनों को खेत से जीप में बिठा कर कपासन अस्पताल ला रहे थे कि ग्राम नारिया के बलाइयों के मोहल्ले के आम रास्ते में उक्त प्रतिवादीगण व इनके गिरोह के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। व पुलिस को बुला कर सुपुर्द कर दिया एवं राजनीतिक दबाव से निर्दोश होते हुए दिनांक 16—12—07 से 20—12—07 को शाम 4 बजे तक हिरासत में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

रखवाया प्रतिवादीगण व इसी गिरोह के लोगो ने करीब 20 लाख रूपयों का नुकसान वादीगण को पहुचाया है। इसके लिये अलग से दिवानी व आपराधिक कार्यवाही की जा रही है।

यह कि प्रतिवादीगण मौके पर कृषि भूमि मे अतिचार करने व नुकसान करने की धमकीया दे रहे हैं । प्रतिवादीगण को वादीगण की वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रवेश करने का कोई अधिकार नही है।

यह कि प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात को स्थाई रूप से नष्ट व बरबाद करने की धमकीयां दे रहे है। प्रतिवादीगण के आपराधीक कृत्य में स्थानीय पुलिस व प्रशासन राजनीतिक दबाव से सहयोग कर रहा है व यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को अकथनीय नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही होगा व क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकेगी।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद पत्र दिनांक 16–12–07 से 20–12–07 तक लगातार प्रतिवादीगण व इनके गिरोह के लोगो ने वादपत्र की कॉलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात में लगातार क्षति पहुंचायी है। फसल बरबाद की है ट्यूबवेलो को नष्ट कर तोड दी व करीब 1500 हरे वृक्षो को नष्ट कर चुरा ले जाने से पैदा होती हैं तथा उसके बाद लगातार स्थाई रूप से कृषि भूमि बरबाद करने की धमकी देने से पैदा हो रही है।

यह कि वादीगण का प्रथम दृष्टया वाद प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष मे है अगर प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो आये दिन लडाई झगडे होगे फिजुल के कई मुकदमें पक्षकारान के बिच हो जाएगें व प्रतिवादीगण व इनके गिरोह के लोग वादीगणो को वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने नही देगें व वादीगण को जान से मारने की धमकी प्रतिवादीगण व इनके गिरोह के लोग दे रहे है व प्रतिवादीगण व इनके गिरोह के लोग वादीगण व इनके पूरे परिवार को जान से मार देगें।

यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण स्वंय प्रतिवादीगण के परिवार नोकर एजेन्ट गिरोह रिश्तेदार व मित्र गिरोह वादीगण की वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात मे प्रवेश नही करे तथा फसल व भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचाये न वादीगण के उपयोग उपभोग एवं काश्त करने के अधिकार एवं फसल बुवाई कटाई आदि मे किसी प्रकार का अवरोध पैदा करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति व नुकसान होने की संभावना नही है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर हस्ब वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादपत्र की कॉलम संख्या 6 के अनुसार प्रदान करायी जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण की कृषि भूमि स्थित मौजा नारिया वर्णित वादपत्र की कलम संख्या 1 में अतिक्रमण नही करे कोई क्षति नही पहूंचावे प्रवेश नही करें तथा फसल व भूमि को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहूंचावे वादीगण के उपयोग, उपभोग एवं काश्त करने के अधिकार एवं फसल बुवाई कटाई आदि मे किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करे व न ही दखलान्दाजी पैदा करे उक्त कार्य प्रतिवादीगण अपने नौकरों एजेन्टो, रिश्तेदारो मित्रों गिरोह के लोगो आदि से नही करावे व न स्वंय करें अन्य उचित सहायता जो भी मुफिद हो पक्ष वादी प्रदान करायी जावें !

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। विपक्षीगणो की ओर से जवाब निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया जो निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की कालम स० एक गलत होने से अस्वीकार है। एवं झूठी एवं तथ्यहीन आधारों पर आधारित होने से प्रार्थीगण का वादपत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज होने योग्य है।

2. यह कि प्रार्थीगण की कालम स० दो अस्वीकार है। एवं आराजीयात एक ही चक मै नही होकर अलग अलग टुकडो मे बंटी हुई हैं जिन्हें प्रार्थीगण स्वयं वाद की कलम स० तीन मे उल्लेखित आराजीयात न0 239, 254 के आधार पर टुकडो में होते होना स्वीकार कर रहे है। तथा वाद मे उल्लेखित कालम स० दो की आराजी नं0 490 पर लगभग 50 वर्षो से विपक्षीगणों के कुए पर आने जाने का रास्ता है। एवं जो रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज था जिन्हे प्रार्थीगण द्वारा गलत इन्द्राज करा कर खातेदारी में जुडवा दिया। जिसका वाद उक्त आराजी को वापस रास्ते मे दर्ज करने का चित्तौड़गढ़ सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन चल रहा है एवं उक्त आराजी 490 को प्रार्थीगणों द्वारा जबरन बन्द किये जाने के बाद विपक्षीगणों द्वारा सक्षम न्यायालय कपासन मे कुएं का रास्ता खुलवाये जाने का वाद किया जो विपक्षीगणों के पक्ष मे निर्णित हुआ एवं इसके बाद प्रार्थीगणों द्वारा फिर सक्षम न्यायालय चित्तौड़गढ़ में अपील की थी वह भी विपक्षीगणों के पक्ष मे निर्णित हुई एवं उसके बाद विपक्षी गणों के पक्ष में निर्णित हुई एवं उसके बाद विपक्षीगणों के कुए पर जाने के रास्ते आ0नं0 490 को तहसीलदार कपासन ने खुलवा रखा है जो वर्तमान मे भी खुला हुआ है जिसका उपयोग उपभोग विपक्षीगण कई वर्षो से करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी कर रहे है।

3. यह कि वाद की कालम स० तीन अस्वीकार है एवं कालम में बताये गये रास्ते विपक्षीगणों के कुए पर नहीं जाते है। एवं उक्त रास्ते 50 वर्षो से नकारे पड़े है। तथा विपक्षीगण आ0न0 490 मे होकर कुएं पर जाने वाले रास्ते का ही उपयोग उपभोग कर रहे है जो की वर्तमान मे भी खुला एवं चालु है।

4. यह कि वाद की कालम स० चार अस्वीकार है। एवं प्रार्थीगणो द्वारा तथ्यहीन एवं मनगढन्त कुठे आरोप लगाये है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगणों के कुए पर जाने वाले रास्ते को जबरन बन्द करना एवं विपक्षी गणों द्वारा सक्षम न्यायालयों के निर्णयों के बाद वापस खुलवा देने से बोखला कर गलत आरोप लगाये है।

5. यह कि वाद की कालम स० पांच अस्वीकार है तथा विपक्षीगण धमकियां प्राथीगणों को नहीं दे रहे है। जबकि विपक्षीगण केवल उनके कुए तक जाने वाले आराजी नं0 490 के रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। इस कारण से द्वेषता वश प्रार्थीगण झूठे एवं मनगढन्त आरोप लगा रहे है।

6. यह कि वाद की कालम स० छः अस्वीकार है । एवं विपक्षीगण केवल अपने कुएं पर आने जाने वाले रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। जो की वर्तमान में खुला है। इससे प्रार्थीगण को कोई हानि नही हो रही है जबकि उक्त रास्ते पर विपक्षीगणों के आने जाने को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने पर अमूल्य क्षति होगी। जिसके नुकसान का अनुमान लगाना समभव नही है क्योंकि विपक्षीगण के कुएं एवं आराजी पर आने जाने बैलगाडी ले जाने, ट्रेक्टर ले जाने एवं कृषि मे काम आने वाले अन्य किसी उपकरण या मशीन को ले जाने का एकमात्र रास्ता यही है। एवं विपक्षी गणो की अधिकांशतः आराजीयात पर खेती इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर के की जाती है । यदि उक्त रास्ते को स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबन्द करा दिया जायेगा तो विपक्षी गणो द्वारा खेती करना असम्भव हो जायेगा। एवं इस प्रकार विपक्षीगण के पूरे

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), कपासन

पूरे परिवार जो खेती पर ही निर्भर है खेती नही करने से परिवारों में बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी।

7. यह कि वाद की कालम सं. सात अस्वीकार है । एवं विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नही पहुचाई है।

8. वाद की कालम सं. आठ अस्वीकार है। एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र इस आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नही है कि विपक्षीगणों द्वारा कोई नुकसान पहुंचाने की सम्भावना हो। जिसकी अपील वर्तमान मे राजस्व न्यायालय अजमेर मे विचाराधीन चल रही है। एवं यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया हुआ है जिसकी पालना विपक्षीगण बराबर कर रहे है । तो फिर प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगणो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का कोई ठोस आधार नही रहता है। एवं विपक्षीगणों को जलील परेशान करने के लिये झुठा एवं मनगढन्त प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र प्रस्तुत किया है जो मय हर्जे खर्चे के खारिज करने योग्य है।

9. यह कि वाद की कालम सं. नौ स्वीकार नही। एवं विपक्षी गण वर्तमान मे खुले हुये आराजी न० 490 के रास्ते का उपयोग उपभोग शांति मय ढंग से अपने कुएं एवं आराजी तक जाने मे कर रहे है। तथा प्रार्थीगण को कोई नुकसान न तो पहुचाया जा रहा न हो रहा है। एवं प्रार्थीगण स्वंय भी उक्त रास्ते का ही अपने कुए तक जाने के लिये उपयोग उपभोग कर रहे है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली में पूर्व में दिनांक 16.02.2010 को तनकीयात् कायम की जाकर शा0फा0 की गई जो निम्नानुसार है–

1. वाद की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

–जिम्मेवादी

2. आराजी संख्या 490 पर विपक्षीगणों के कुए पर आने जाने का रास्ता हैं। जो रेकार्ड में रास्ता दर्ज हैं।

–जिम्मेप्रतिवादी

3. वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

–जिम्मेवादी

4. अनुतोष

साक्ष्यवादी में पूर्व में मोहनलाल, किशोर, छोगालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायात प्रदर्श–27 है। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही किये जाने से दिनांक 19.12.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज, शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार है–

<u>तनकी संख्या 1</u> वाद की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ? उक्त तनकी को साबित कराने का जिम्मा वादीगण का था। उक्त तनकी को साबित कराने हेतु साक्ष्यवादी में वादीगण ने बयान प्रस्तुत किये। साथ ही संलग्न दस्तावेजों में वादवर्णित आराजीयात में वादीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष में सिद्ध कराने में सफल रहे।

<u>तनकी संख्या 2</u> आराजी संख्या 490 पर विपक्षीगणों के कुए पर आने जाने का रास्ता हैं। जो रेकार्ड में रास्ता दर्ज हैं? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। उक्त तनकी को सिद्ध कराने में प्रतिवादीगण असफल रहे।

<u>तनकी संख्या 3</u> वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादीगण का था। तनकी संख्या 1 वादीगण द्वारा सिद्ध कराई गई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि वादीगण वादवर्णित आराजीयात के रेकार्डेड खातेदार है व रेकार्डेड खातेदार को अपनी आराजीयात को उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया। वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1, 2, 3 सिद्ध कराये जाने में सफल रहने से वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में सफल रहे। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा नारीया पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 239, 254, 433, 485, 487, 488, 489, 490, 492, 502, 503, 504, 505, 962/486, 486 स्थित है में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं वादीगण को फसल आदि काश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे एवं जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं प्रतिवादीगण न ही ऐसा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल नागर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन